राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांकःराज्य पी. प्रकोष्ठ / एल0ए0 / GOI / 2020 / 165 दिनांक : 21/04/2020

समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
(जरीये जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी, राजस्थान)।

विषयः– भारत सरकार से गजट अधिसूचना दिनांक 04.04.2010 के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा-निर्देश पत्र प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक File No.V11011/01/2020-PNDT दिनांक 17.04.2010 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में भारत सरकार से गजट अधिसूचना दिनांक 04.04.2010 के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भित दिशा-निर्देश पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि पत्रानुसार पंजीकृत केन्द्रों को सूचित किया जाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
(संलग्नः–उपरोक्तानुसार।)

अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (आईईसी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर महोदय, राजस्थान।
2. समस्त सयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवायें, राजस्थान।
3. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम।
5. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

File No.V11011/01/2020-PNDT
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(PNDT Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 17th April, 2020

To,

The Principal Secretaries (Health & FW),
(All the States/UTs)

Subject: Advisory regarding implementation of the PC & PNDT Act,1994 during the lockdown due to COVID-19 pandemic -reg

Sir/Madam,

I am directed to refer to Government of India Gazette Notification dated April 4, 2020 whereby this Ministry has deferred/suspended certain provisions under the PC & PNDT Rules 1996 till 30.06.2020.

2. The Notification dated 04.04.2020 should in no way lead to laxity in the execution of the provisions of the Act. The suspension of Rule 8, 9(8) and 18 A (6) is temporary and does not provide exemption from compliance of any of the provisions of the Act. State Appropriate Authorities shall direct the District Appropriate Authorities to ensure that law is strictly enforced.

3. All State/District Appropriate Authorities shall also ensure that all provisions of the PC&PNDT Act are being followed and all reports, records mandatory to be maintained/prepared as per the Law are being carried out with due sincerity. All report submissions falling due in this period i.e. till 30.06.2020 shall be submitted by the 5th of July,2020. **Wherever possible, electronic communication and electronic report filing should continue on an ongoing basis even before 30.06.2020.**

4. This issues with the approval of competent Authority.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23061883

Medical & Health Se... State PCPNDT Cell
No. 1037
Date 20/4/20

Copy to: All State/UT Appropriate Authorities/Nodal Officers (PC-PNDT Act)

Scanned with CamScanner
Scanned by CamScanner

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042020-219008
CG-DL-E-04042020-219008

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4, 2020/चैत्र 15, 1942
No. 181] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4, 2020/CHAITRA 15, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 237(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 के उप-खंड (2) के खंड (ivc) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा, महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली आपातस्थिति को देखते हुए, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है, गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 8, नियम 9 (8) और नियम 18ए (6) के अनुपालन को 30 जून 2020 तक निलंबित कर दिया गया है।

महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व परिदृश्य में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियम, 1996 के नियम 8, नियम 9 (8) और नियम 18ए (6) का अनुपालन मुश्किल हो गया है, जिससे इस अधिसूचना को जारी करने की आवश्यकता की स्थिति बन गई है ,जिसका भूतलक्षी प्रभाव होगा कि लॉकडाउन की तारीख से 30 जून 2020 तक।

[फा. सं. V.11011/01/2020-पीएनडीटी]

डॉ. मनोहर अगनानी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सा.का.नि. 1 (अ.) द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2020

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ive) of sub-section (2) of section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby suspends, the implementation of Rule 8, Rule 9(8) and Rule 18A(6) of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules,1996 until June 30, 2020, in view of the emergency situation arisen due to pandemic COVID-19, whereby entire country has been put under lockdown.

The unprecedented scenario due to COVID-19 pandemic outbreak has made compliance of Rule 8, Rule 9(8) and Rule 18A (6) of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules 1996 difficult, leading to the necessity of issuing this notification, which will have retrospective effect, i.e. from the date of the lockdown, till June 30, 2020.

[F. No. V.11011/01/2020-PNDT]

Dr. MANOHAR AGNANI, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Par-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number GSR 1(E) dated the 1st January, 1996.

Scanned by CamScanner